धन्नालाल बनाम करमा देवी
T. I

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्ब[illegible] अह[illegible] हुक्म में
12-4-2024	वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थी सं० 1, 2 की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा Adv. ने जवाब T. I. प्रा०पत्र मय 7 किता दस्तावेज प्रस्तुत किए। वास्ते बहस T. I. पत्रावली दि० 15-4-2024 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।	
15-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते बहस T. I. पत्रावली दि० 16-4-2024 को पेश हो। T. I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।	
16-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। T. I. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय प्रा०पत्र T. I. पत्रावली दि० 19-4-2024 को पेश हो।	
19-4-2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी/ [illegible] /उभयपक्ष [illegible] श्रीमान् पीठासीन अधिकारी [illegible] पर हैं/अन्य [illegible] से गया है। अतः पत्रावली हुक्मानुसार दिनांक 22-4-2024 को पेश हो। रीडर	
22-4-2024	वकील उभयपक्ष उप०। T. I. प्रा०पत्र खारिज किया जाता है एवं दि० 12-3-2024 को जारी अन्तरिम T. I. आदेश वैकेट किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

निर्णय न्यायालय श्री अनूप सिंह, आर0ए0एस0, उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23/2024	12.3.2024	22.4.2024

धन्नालाल पुत्र कौरीलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नम्बर 19, गंगापुर सिटी
——प्रार्थी

बनाम

1. करमा देवी पत्नी बीरवल जाति जाटव निवासी सालोदा तह0 गंगापुर सिटी
2. बाबूलाल पुत्र रेवड्या जाति बैरवा निवासी फरासपुर तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
4. उप पंजीयन अधिकारी तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री समर्थ उपाध्याय, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नम्बर 5397 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलां स तहसील गंगापुर सिटी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें पक्षकारान मुकदमा अपने हिस्से मुताबिक संयुक्त रूप से उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। आज दिन तक वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं हुआ है। अप्रार्थिया करमा द्वारा एक झूंठा दावा पूर्व में माननीय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने का प्रस्तुत किया एवं जिसे प्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णित करवा लिया। इसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा ऊपरी न्यायालय में कार्यवाही की हुई है जो विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य वाई मीट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर भौतिक रूप से विभाजन नहीं हुआ है एवं सभी पक्षकारान मौके पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं। दि0 10.3.24 को जब प्रार्थी भूमि की सार संभाल कर रहा था तो अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ आए और प्रार्थी को धमकी दी कि तू अब इस भूमि पर से अपना कब्जा हटा ले, हम यह भूमि दीगर लोगों को अलग अलग भूखण्डों की शक्ल में बेचते हुए निर्माण करवायेंगे। अप्रार्थीगण ने संयुक्त खातेदारी की इस भूमि पर नींव खुदवाना प्रारम्भ कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 का विधि विरूद्ध तरीके से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा लिया है जिसके सन्दर्भ में उपरोक्त वर्णित कार्यवाही विचाराधीन है। वादग्रस्त भूमि के अलग रूप से हाल राजस्व रिकार्ड में ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0 व ख0नं0 8151/5397 रकबा 0.21 है0 अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बाबूलाल के नाम अंकित है, ख0नं0 8150/5397 रकबा 0.17 है0 अप्रार्थी करमादेवी के नाम अंकित है एवं ख0नं0 8149/5397 रकबा 0.34 है0 प्रार्थी के नाम गलत रूप से अंकित है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में ऊपरी न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होते हुए भी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त वादग्रस्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजन उपयोगार्थ भूमि का संपरिवर्तन कराने को उतारू हैं। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त कृषि भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 के गलत रूप से विरचित ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 8151/5397 रकबा 0.21 है0 जो अप्रार्थी बाबूलाल के नाम अंकित है, ख0नं0 8150/5397 रकबा 0.17 है0 जो अप्रार्थी करमा देवी के नाम अंकित है एवं ख0नं0 8149/5397 रकबा 0.34 है0 के विधिवत विभाजन के बिना उपरोकत वर्णित खसरा नम्बरान को हाल राजस्व रिकार्ड के मुताबिक किसी भी प्रकार का अन्तरण, अन्यसंक्रामण समपरिवर्तन कर राजस्व रिकार्ड तथा मौके की स्थिति में किसी प्रकार का कोई निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन ना करे और ना ही प्रार्थी को ख0नं0 597 रकबा 0.79 है0 में उसके विधि अनुसार निश्चित हिस्से के उपयोग, उपभोंग, प्रयोग एवं कब्जे काश्त में मजाहमत ना तो स्वयं उत्पन्न करें ना अन्य किसी से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब में प्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि इस नम्बर का पूर्व पक्षकारान के मध्य विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा चलकर भूमि का विभाजन हो चुका है एवं विभाजन के बाद ख0नं0 8105/5397 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 8151/5397 रकवा 0.17 है0 अप्रार्थी बाबूलाल की खातेदारी में दर्ज हो गई तथा भूमि ख0नं0 8150/5397 रकबा 0.17 है0 अप्रार्थी करमादेवी की खातेदारी में दर्ज हो गई तथा ख0नं0 8149/5397 रकबा 0.34 है0 प्रार्थी के नाम दर्ज हो गई। इसका उल्लेख स्वयं प्रार्थी ने अपने टी0आई0 प्रार्थना पत्र के मद नं0 5 में किया है। इससे स्पष्ट है कि ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं टी0आई0 प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है एवं आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

के तहत चलने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी करमादेवी द्वारा न्यायालय श्रीमान् के समक्ष भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का एक दावा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसका निर्णय श्रीमान् के न्यायालय से अंतिम रूप से हो चुका है एवं भूमि का विभाजन होकर भूमि पृथक पृथक खातेदारों के नाम दर्ज हो चुकी है। इसकी जानकारी प्राथी को भलीभांति रही है। प्रार्थी ने उपरोक्त दावे में पारित निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां मय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की। अपीलेट न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 8.6.2023 द्वारा निगरानी निरस्त कर स्थगन देने से इन्कार कर दिया। इसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटीशन प्रस्तुत की जिसका निर्णय दि0 11.3.2024 को कर दिया गया एवं प्रार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा देने से इन्कार कर दिया गया। इन सभी तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थी ने श्रीमान् न्यायालय को गुमराह कर दिनांक 12.3.2024 को गलत तथ्यों पर दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली । प्रार्थी द्वारा वादपत्र के साथ गलत रूप से पुरानी जमाबंदी प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो धोखाधडी की तारीफ में आता है। दि0 10.3.2024 को पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुआ और नही इस दिन प्रार्थी को कोई वादकारण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उत्पन्न हुआ। प्रार्थी ने दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं जो निरस्त होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 खाता संख्या 458 ग्राम उदेईकलां, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 1034, 1035, 1046 ग्राम उदेईकलां, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की हैं।

जबाब के समर्थन मे अप्रार्थीगण ने छायाप्रति नकल निर्णय दि0 11.10.19 न्यायालय उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी मय डिक्री, फोटोकोपी प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशिका न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर, फोटोकोपी नकल निर्णय दिनांक 8.6.2023 राजस्व मण्डल अजमेर, फोटोकोपी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

नकल निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर सिविल रिट पिटीशन नं0 12814/2023 उनवानी धन्नालाल बनाम करमादेवी वगैरा प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलां प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। प्रार्थी की जानकारी के बिना ही अप्रार्थी करमादेवी ने एक दावा प्रस्तुत कर इस भूमि का विभाजन श्रीमान्जी के न्यायालय से करवा लिया एवं भूमि की खातेदारी पृथक पृथक प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करवा ली। इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने श्रीमान्जी के न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की जो विचाराधीन है। अपील में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्थगनादेश प्रदान नहीं किया गया। इसके विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जो अस्वीकार हुई। प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में सिविल रिट पिटीशन दायर की जो इस निर्देश के साथ निर्णित कर दी गई कि राजस्व अपील प्राधिकारी यथाशीघ्र स्टे प्रार्थना पत्र का एक माह में निरस्तारण करे। चूंकि राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर का पद वर्तमान में रिक्त चल रहा है इसलिए वहां पर प्रार्थी के स्टे प्रार्थना पत्र के मामले में कोई निर्णय नहीं हुआ है एवं प्रार्थी के हित प्रभावित हो रहे हैं इसलिए प्रार्थी ने इन तथ्यों को अपने दावा व प्रार्थना पत्र में दर्शाते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की जिस पर श्रीमान्जी द्वारा प्रार्थी के हितों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया जो विधि अनुरूप है। अप्रार्थीगण ने गलत तरीके से भूमि का विभाजन प्रार्थी की जानकारी के बिना करवाया है एवं अब प्रार्थी की भूमि का बेचान करने पर उतारू है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थी का केस साबित है, भूमि के विक्रय से प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर श्रीमान्जी द्वारा जारी स्टे आदेश मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी ने ख0नं0 5397 को संयुक्त खातेदारी की भूमि बताकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया है जबकि यह नम्बर वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है क्योंकि इस नम्बर का प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 के मध्य इस

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

न्यायालय से विधिवत रूप से विभाजन होकर भूमि की खातेदारी प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1, 2 के नाम के नाम वर्ष 2020 में ही दर्ज हो चुकी है। प्रार्थी को इस तथ्य की जानकारी शुरू से ही रही है। प्रार्थी ने स्वयं ने श्रीमान्जी के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की हुई है जो वर्तमान में विचाराधीन है। श्रीमान्जी के न्यायालय के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रार्थी ने स्थगनादेश प्राप्त करने हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां प्रयास किया परन्तु प्रार्थी को स्थगनादेश नहीं मिला, इसकी निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर में प्रार्थी ने प्रस्तुत की वहां भी इनकी निगारानी खारिज कर दी गई एवं प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में सिविल रिट पिटीशन भी दायर की जहां से भी प्रार्थी को कोई स्थगनादेश नहीं दिया गया। इस निर्णय के तुरन्त बाद प्रार्थी ने श्रीमान् के न्यायालय से गलत तथ्यों के आधार पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली जो विधि अनुकूल नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी का प्रकरण चलने योग्य ही नहीं है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे व इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगनादेश भी खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि ख0नं0 5397 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलां स प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1, 2 की सहखातेदारी में दर्ज रही है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार इस भूमि का इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2019 द्वारा पक्षकारों के मध्य विधिवत रूप से विभाजन किया जा चुका है एवं इसके अनुसार पक्षकारों के मध्य पृथक पृथक खसरा नम्बर कायम होकर भूमि खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। रेकार्ड के अनुसार ख0नं0 5397 वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.2019 के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के यहां अपील प्रस्तुत की हुई है जो विचाराधीन है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.3.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वैकेट किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 22.4.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)